

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सम्बल पत्र छविहार कूनगढ़ीवित जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से दी दिया जावे न  
कि किसी अन्य घटाविकारी के नाम से।  
सम्बल विद्युत एवं धूर्त ने उक्त  
व्यवहार कुआ ले तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे तुषिष्ठा हो।



पात्र : शूलीर्णसिंह  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (विवास)  
फैक्टरी : (0091-0751-2341766  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwaji.edu>

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बलता/2011/ 4725

दिनांक : 31/03/12

### // अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09 फरवरी 2012 के पद क्रमांक (02) के बिरण्यानुसार एस कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन मेहगांव, जिला-गिरण को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. प्रथम वर्ष -आ.पा. इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, बी.एस.सी. प्रथम वर्ष-  
बायोग्युप/मैट्स्युप, बी.कॉम. प्रथम वर्ष- प्लॉन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन, (अति.वि.), बी.सी.ए. प्रथम वर्ष, बी.  
बी.ए. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बलता लिखन शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

#### शर्तें/प्रतिबंध :-

1. 05 वर्षे कम्प्यूटर तथा कोर्स से सम्बन्धित लीगल साप्टवेयर तथा साइंस लैब में 20 हजार के उपर्यण एवं सामान क्र्य किया जावे।
2. प्राचार्य, शिक्षकों, लाइब्रेरियन एवं स्पोर्ट ऑफीसर की नियुक्ति 28(17) में की जावे।
3. सभी रजिस्टर्टों को विधिवत एवं अद्यतन किया जावे तथा रु. 25,000/- की पुस्तकें क्र्य की जावें।

सीट संख्या - बी.ए. - 60, बी.एस.-सी. (गणित) - 40, बी.एस.-सी. (बियो.) - 40,  
बी.कॉम. - 60, बी.टी.ए. - 30, बी.बी.ए. - 30

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

#### प्रति,

1. प्राचार्य, बी.एस कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन मेहगांव, जिला-गिरण।
2. आमुवत, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सलपुड़ा भरन, भोपाल।
3. भौतीय अतिवित संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, माती झहल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/वोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
सहा-कुलसचिव (सम्बलता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाते न हो कि किसी अन्य यदायेकारी के नाम से।  
उच्चतम विषय पर यदि पूर्ण न हो पञ्च व्यवहार कुला हो तो उनके क्रमांक एवं दिनांक अद्यत्य लिखा जावे किससे संविधा हो।



फोन : गृहीतकर्ता  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/504

दिनांक: 08/06/12

## //संशोधित सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध पीस कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, मैंहगांव, भिण्ड को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. द्वितीय वर्ष -आ.पा. इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष- बायोबुप/मैट्सबुप, बी.कॉर्स. द्वितीय वर्ष- प्लेब/कम्प्यूटर एप्लीकेशन, (अति.वि.), बी.सी.ए. द्वितीय वर्ष, बी.बी.ए. द्वितीय वर्ष, बी.एच.एस.-सी.-प्रथम वर्ष, बी.एस.-सी. प्रथम वर्ष कम्प्यूटर साइंस अति.विषय एवं बी.ए. प्रदान वर्ष हिन्दी साहित्य अति. विषय पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवर्तन 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

1. प्रो. एस.के. द्विवेदी, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.टि., ग्वालियर। (संयोजक)
2. प्रो. राधा तोमर, आवार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.टि., ग्वालियर।
3. डॉ. एस.के. गुप्ता, उपाचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.टि., ग्वालियर।
4. डॉ. एस.के. सिंह, उपाचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययनशाला, जी.वि.टि., ग्वालियर।
5. डॉ. शैलजा जैन, शासकीय के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवर्तन 27/28 के प्रावितरी के अनुलेप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर थुक्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त ए.सुनाति/अबापिति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्रों के तथा प्रावार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की बियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्रावार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर बिरीक्षण करायें। समिति संयोजक से बिवेदन है कि वे उक्त बिधारित समय में बिरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। बिरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित बिरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद बिरीक्षण में की गई देशी के दिल्ली महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति उक्त बिरीक्षण हो जावेगी और पुनः बिरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को हण्ड खर्च रु. 15,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही बिरीक्षण समिति का पुर्वज्ञान किया जायेगा। परिवर्तन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विद्या छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

बिरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यात्मक पत्रावली लेकर जारीगे तथा महाविद्यालय की वस्तुतियां से बिरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। बिरीक्षण समिति के सदस्यों की दी.ए. / डी.ए. / मानकों सहायी विश्वविद्यालय द्वारा देख डांगा।

*Amrit B*  
कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यगाही हेतु।
2. प्रावार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि उन्हें के संयोजक से संपर्क स्थापित कर बिरीक्षण दिनांक बिधारित कर महाविद्यालय का बिरीक्षण करायें। उक्त बिरीक्षण 1.. दिवस के अंदर कराके की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

*Ran*  
उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)